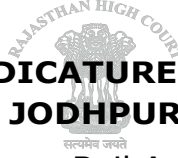




**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2374/2026

1. Banshi Lal S/o Shri Pyara Kalbeliya Jogi, Aged About 48 Years, Resident Of Kiratpura, Badi Sadri, Dist. Chittorgarh.
(Presently Lodged At Distt. Jail, Bhilwara)
2. Mukesh S/o Shri Nanu Ram Kalbeliya, Aged About 27 Years, Resident Of Banakiya Kalan, Thana Kapasan, District Chittorgarh. At Present R/o Khatriya Choukdi, Dist Ahemdabad. (Gujrat)
(Presently Lodged At Distt. Jail, Bhilwara)
3. Narayan S/o Shri Partha @ Prathvi Raj Kalbeliya, Aged About 46 Years, Resident Of Pipli Gujran, Thana Bhadesar, District Chittorgarh.
(Presently Lodged At Distt. Jail, Bhilwara)

----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p.

----Respondent

For Petitioner(s)	: Mr. OP Sangwa
For Respondent(s)	: Mr. Hathi Singh Jodha, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

23/03/2026

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना गंगापुर, जिला भीलवाड़ा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 194/2025, अपराध अन्तर्गत धारा 311, 331(8), 317(2), 61(2)(ए) भारतीय न्याय संहिता के मामले में प्रस्तुत हुआ है।
2. मैंने बहस जमानत आवेदन पत्र पर सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।
3. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि इस मामले में चालान पेश हो चुका है। यह मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा



विचारणीय है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः इस आधार पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

4. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए प्रार्थी-अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।

5. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। इस मामले में चालान पेश हो चुका है। यह मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

6. अतः बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

7. परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के जमानत आवेदन पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **01. बंशीलाल पुत्र प्यारा कालबेलिया जोगी, 02. मुकेश पुत्र नानुराम कालबेलिया, 03. नारायण पुत्र परथा उर्फ पृथ्वीराज कालबेलिया**, उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्येक अभियुक्त अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उन्हें इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J